राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकुला

अधिसूचना

दिनांक 25.10.2012

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2012/1628 भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 243 य क के उपबन्ध (1) के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 3 क तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 19 (1) के अधीन प्रदत की गई शक्तियों तथा इस निमित समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, नगरपालिका, हथीन, जिला पलवल, के आम चुनाव के लिए निम्नलिखित चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करता हैः–

1.	रिटरनिगं अधिकारी द्वारा नियम 19 के अधीन नामांकन पत्रों की प्राप्ति हेतू नोटिस जारी किये जाने की तिथियां	26/10/2012(शुक्रवार)
2.	नियम 19(2)(i) के अधीन नामांकन पत्रं प्रस्तुत किये जाने की तिथियां	05.11.2012(सोमवार) से 09.11.2012(शुक्रवार) प्रातः 11–00 बजे से सांय 3–00 बजे तक
3.	नियम 19(2)(ii) के अधीन प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चिपकाने की तिथियां	05.11.2012(सोमवार) से 09.11.2012(शुक्रवार)
4.	उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को यह सूचना की वह किसी भी कारण से अयोग्य नहीं है, को प्रस्तुत किये जाने तक की तिथि	10.11.2012(शनिवार) प्रातः 11.00 बजे से पहले
5.	नियम 19(2)(iii) के अधीन नामांकन पत्रो की छानबीन किये जाने की तिथि	10.11.2012(शनिवार) प्रातः 11.30 बजे से लगातार
6.	नियम 19(2)(iv) के अधीन उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापिस लेने की तिथि	12.11.2012(सोमवार) प्रातः 11–00 बजे से सांय 3–00 बजे तक
7.	चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आंबटन करने की तिथि	12.11.2012(सोमवार) सांय 3–00 बजे बाद
8.	नियम 19(2)(vii) के अधीन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपकाये जाने की तिथि	12.11.2012(सोमवार)
9.	नियम 19(2)(viii) के अधीन मतदान केन्द्रों की सूची चिपकाये जाने की तिथि	12.11.2012(सोमवार)
10.	नियम 19(2)(ix) के अधीन मतदान की तिथि, यदि कोई है	25.11.2012(रविवार)
11.	मतदान का समय	प्रातः 8.00 बजे से सांय 4.30 बजे तक
12.	डाले गये मतों की मतगणना की तिथि, समय व स्थान	सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान बन्द होने के तुरन्त बाद वार्ड से

		सम्बन्धित सभी मतदान केन्द्रों की मतगणना उपायुक्त द्वारा निश्चित किये गये एक ही स्थान पर वार्ड वाइज होगी ।
13.	चुनाव परिणाम घोषित किये जाने की तिथि	मतगणना पूर्ण होने के तुरन्त बाद

2. रिटरनिंग अधिकारी हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम–20 के अधीन दिनांक 26/10/2012 को अपने, उपायुक्त कार्यालय, नगरपपालिका के कार्यालय पर तथा नगरपालिका् के क्षेत्र जिस क्षेत्र में चुनाव होना है, के ऐसे अन्य सहज दृश्यों पर जैसे यह नियत करें, उपरोक्त चुनाव कार्यक्रम का नोटिस चस्पा करेगा।

3. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 28 के अधीन उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापिस लेने के तुरन्त पश्चात् सम्बनिधत रिटरनिंग अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की हिन्दी में सूची तैयार करेगा। जिसका अर्थ उम्मीदवारों की सूचियां जो कि वैद्य नांमाकित उम्मीदवारों की सूची में शमिल किये गये हैं और जिन्होनें निर्धारित समय में अपनी उम्मीदवारी वापिस नहीं ली है। यह सूची कुछ सहज दृश्य स्थानों, रिटरनिंग अधिकारी और नगरपालिका के कार्यालय में चस्पा की जायेगी।

4. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी या सहायक रिटरनिंग अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, प्रत्येक अवस्था में नांमाकन का नोटिस वैसे ही तैयार करेगा जैसा की दोनों उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक द्वारा नांमांकन पत्र में दर्शाया गया हो, उन उम्मीदवारों की सूची जिनके नामांकन पत्र रदद् किये गये है,वैद्य नांमाकित उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों ं वापिसी का नोटिस और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची कुछ सहज दृश्यों पर, अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, नगरपालिका के कार्यालय पर चस्पा करेगा और एक प्रति सीधे तौर पर व एक प्रति उपायुक्त के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।

5. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि नगरपालिका के सदस्य के पद के चुनाव हेतू डाले गये मतों की गणना मतदान बन्द होने के तुरन्त पश्चात् मतदान वाली तिथि को उन्ही मतदान केन्द्रों पर की जायेगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर डाले गये मतों का विवरण प्ररूप –18 के भाग–11 में पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार करके रिटरनिंग अधिकारी को पारुप–8 में संमकेन करने के लिए भेजेगा। जियमें प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में वैद्य मतों की संख्या दर्शाते हुये सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वार्ड से निर्वाचित घोषित करेगा।

6. राज्य निर्वाचन आयोग यह भी निर्देश देता है कि नियम–62 के अधीन चुनाव का परिणाम घोषित होने के पश्चात् रिटरनिंग अधिकारी एक प्रति (प्ररूप 8 गणना किये गये मतपत्रों का लेखा समेंकन का प्ररूप) अपने कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर

चस्पा करेगा और उसकी एक प्रति उपायुक्त को भेजेगा जो कि निर्वाचित उम्मीदवार के नाम को राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को तुरन्त भेजेगा। उपायुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार के नाम व अन्य विवरण वही होगें जो उसके नामांकन पत्र में दर्शाये गये हों।

आदेश द्वारा

दिनांक पंचकुला
25 अक्टूबर, 2012

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा